

ट्रम्प का अमेरिका के "साम्राज्य" का सपना, अमेरिका के विनाश व पतन का कारण बनेगा?

इतिहास में पहले ही हैप्सबर्ग वंश, स्पेन का राज्य, बुरबान फ्रांस की सल्तनत ने अपने खर्च इतने ज्यादा बढ़ा लिये थे कि अन्ततोगत्वा इन सबका पतन ही हुआ

**-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 22 फरवरी। बड़े ताकतवर साम्राज्यों का पतन अचानक रातों रात नहीं होता वो अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर खत्म हो जाते हैं। इतिहासकार नाइल फर्ग्यूसन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपने बढ़ते हुए कर्ज का निपटारा नहीं किया तो इसका भी वही हद होगा जो पूर्व में महान साम्राज्यों का हुआ था।

अपने लेख "डैट हेज़ ऑलवेज़ बीन द रईन ऑफ़ ट्रेड पावर्स, इज़ द यू एस नेक्स्ट?" में फर्ग्यूसन ने कहा कि डॉनल्ड ट्रम्प का विस्तारवादी विज़न-ग्रीनलैंड का विलय, कैनेडा को 51 वां राज्य बनाता और यूक्रेन व गाज़ा में दखलदांजी करना वित्तीय सीमाओं की अन्देखी करता है और अमेरिका के डाउनफॉल को तेज कर सकता है।

इतिहासले यह दर्शाता है कि साम्राज्य न केवल बाहरी खतरों से बल्कि लापरवाह व बेतरतीब खर्च से भी गिरते

- ट्रम्प की ग्रीन लैंड को अमेरिकी साम्राज्य का हिस्सा बनाने की, कैनेडा को अमेरिका का इक्यावन वां प्रांत घोषित करने की, यूक्रेन व गाज़ा में हस्तक्षेप करने की, महत्वाकांक्षा से अमेरिका के खर्च इतने बढ़ जायेंगे कि अनुपयोगी वित्तीय कर्ज, अमेरिका को ले डूबेगा। उदाहरण के लिए वर्ष 2024 में अमेरिका की "डैट सर्विस", कर्ज पर ब्याज आदि, अमेरिका के रक्षा बजट से भी ज्यादा 1.124 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जबकि रक्षा मंत्रालय का बजट 1.107 ट्रिलियन डॉलर ही है।
- इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े साम्राज्य किसी बाहरी आक्रमण के कारण ही नहीं, बल्कि व्यर्थ (रैकेलेस) खर्चों के कारण खत्म हो जाते हैं, क्या अमेरिका भी इसी रास्ते पर चल रहा है।

है। फर्ग्यूसन ने अतीत के उदाहरण दिए- हैप्सबर्ग, स्पेनिश और बोरबॉन फ्रांस- जिन्होंने अपनी वित्तीय सीमा से बाहर जाकर खर्च किया अंततः उनका पतन हो गया। एक अन्य इतिहासकार एडम फर्ग्यूसन की बात को दोहराते हुए, नाइल

उचित प्रतिफल नहीं मिलता है, तो इसे राष्ट्रीय विनाश के कारणों में गिना जाना चाहिए।" नाइल फर्ग्यूसन का कहना है कि उनकी ये बातें आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं।

संख्याएँ एक मुश्किल कहानी बयान करती हैं। वर्ष 2024 में, अमेरिकी कर्ज सेवा (1.124 ट्रिलियन डॉलर) रक्षा खर्च (1.107 ट्रिलियन डॉलर) से अधिक होगी-यह स्थिति आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के "आइसोलेशनिस्ट अमेरिका" में देखी गई थी। फर्ग्यूसन, जो डेलीमेल डॉट कॉम में लिखते रहे हैं, चेतावनी देते हैं कि बढ़ता कर्ज भू-राजनीतिक प्रभाव को कमजोर करता है। कांग्रेसल बजट ऑफिस (सी.बी.ओ.) का अनुमान है कि 2049 तक संघीय कर्ज जी.डी.पी. का लगभग 5 प्रतिशत हो जाएगा। क्योंकि ब्याज भुगतान अधिक राजस्व को खा जाता है, भविष्य की कांग्रेसों के लिए रक्षा का बजट जुटाना कठिन हो सकता है, जिससे अमेरिका कमजोर हो सकता है। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

उत्तराखंड के "फॉरेस्टेशन फंड" से आईफोन, लैपटॉप आदि खरीदे गये

सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में इस दुरुपयोग पर कड़ी टिप्पणी की

**-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 22 फरवरी। कॉम्प्यूटर एण्ड ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) ने एक रिपोर्ट में बताया है कि उत्तराखंड राज्य में वनाधिपण के लिए निर्धारित धन राशि का उपयोग, व्यक्तिगत यात्राओं, आई-फोन, लैपटॉप, फ्रिज, कुलर व स्टेशनरी खरीदने जैसी "अस्वीकार्य गतिविधियों" के लिए किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, 13.86 करोड़ रूपए की गतिविधियों के लिए डायवर्ट किए गए तथा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को "एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन्स" देय से दिया, जिसके कारण कई मामलों में लागत बढ़ गई।

यह ऑडिट रिपोर्ट, जो 2019-2022 के लिए श्रुतिपूर्ति फंड प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, (कम्पनसेटरी फंड मैनेजमेंट एण्ड प्लानिंग अथॉरिटी (सी.ए.एम.पी.ए.)) से संबंधित है, में

- रिपोर्ट के अनुसार, 188.62 हैक्टियर वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के उपयोग किया गया तथा राज्य सरकार ने इसके एवज में 188.62 हैक्टियर भूमि उपलब्ध कराई, वन विकसित करने के लिये।
- पर, पेड़ तो नहीं लगाये गये तथा इसके लिये उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कुलर तथा स्टेशनरी खरीदने में किया गया।
- और वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के आठ साल बाद तक ये पेड़ नहीं लगाये गये, जबकि कानूनी प्रावधान है कि गैर वानिकी उपयोग के एक साल में नये पेड़ लग जाने चाहिए।

यह भी बताया गया है कि 52 मामलों में 188.62 हेक्टेयर वन भूमि गैर-वन उद्देश्यों के लिए यूजर एजेंसियों को आवंटित की गई थी। उपयोगकर्ता (यूजर) एजेंसियों ने बिना अनुमति के वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण शुरू कर दिया और वन विभाग ने वन भूमि के अवैध

कांग्रेस विधायकों का विधानसभा में धरना

जयपुर, 22 फरवरी। कांग्रेस विधायकों के निलंबनको लेकर विधानसभा में लगातार धरना जारी है। सरकार की ओर से गतिरोध तोड़ने के लिए अलग-अलग दौर में वार्ता की गई, लेकिन सरकार की ओर से की गई वार्ता बेनतीजा रही। देर रात को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जवाहरसिंह बेदम, श्रीचंद कृपलानी सहित कई नेताओं ने कांग्रेस के सदस्यों से वार्ता की, लेकिन वार्ता बेनतीजा निकली। कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा विधानसभा में धरना

- गतिरोध तोड़ने के लिये अलग-अलग दौर में हुई वार्ता असफल रही है।

जारी रहेगा। शुक्रवार को कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार देर रात तक सरकार से वार्ता का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी थी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदरन में ही रात गुजारी और धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रामधुन भी की। धरने पर बैठे निलंबित विधायक संजय कुमार जाटव और जाकिर हुसैन गैसावत की तबीयत बिगड़ गई थी। कांग्रेस विधायकों (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा व कलेक्टर करौली को अवमानना नोटिस

जयपुर, 22 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा व राजस्व विभाग से, 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को अदालती आदेश के बावजूद वेतन परिलाभ का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्व मंडल रजिस्ट्रार व जिला कलेक्टर करौली को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दामोदर गौयल व शिंभू दयाल शर्मा की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने यह नोटिस अदालती आदेश के बाद भी 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियों को वेतन परिलाभ नहीं देने पर दिये हैं।

याचिकाओं में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने रिवाइज वेतन स्केल नियम 2008 व 2017 से प्रदेश के सभी अफसर व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में समानता के लिए सालाना वेतन बढ़ाव की तारीख एक जुलाई तय की थी। ऐसे में 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला। इस कारण उन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, वरिष्ठता व (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति नहीं अपनाई तो केन्द्रीय सरकार "एजुकेशन फंड" रोक देगी?'

इस धमकी के जवाब में मु.मंत्री स्टालिन को सलाह दी जा रही है कि वे केन्द्रीय शुल्क (सैन्ट्रल टैक्स) देना बंद कर दें

**-लक्ष्मण बैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 22 फरवरी। विभागा फॉर्मूले पर न तो तमिलनाडु सरकार एक इंच भी झुक रही और न केन्द्र सरकार ही जरा सा भी झुकने को तैयार है। राज्य सरकार इसे हिन्दी थोपने की चाल के रूप में देख रही है तथा यह मुद्दा एक बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत, हिन्दी भाषा को लेकर हो रही राजनीति गर्म होती जा रही है तथा केन्द्र तमिलनाडु को दिये जाने वाले शिक्षा फंड को रोक सकता है। उधर, राज्य के मुख्यमंत्री यह के. स्टालिन को उनके सहयोगी यह सलाह दे रहे हैं कि वे टैक्स अदा न करने पर विचार करें। दोनों ओर से ऐसी स्थिति आने पर, दोनों सरकारों के बीच का टकराव खतरनाक स्थिति तक पहुँच सकता है। हालाँकि, धीरे-धीरे लोग यह मानकर चल रहे हैं कि स्थिति इतने खतरनाक बिंदु तक नहीं पहुँचेगी और अगर ऐसी स्थिति आती है तो केन्द्र, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। भाषा का मुद्दा तमिलनाडु में तथा अन्य राज्यों में भी बहुत संवेदनशील

- अगर, इस टकराव के रास्ते पर दोनों सरकारें चलती रहें तो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है।
- राजनीतिक दृष्टाओं का मानना है, राज्य सरकार अभी तक शिक्षा का पुराने स्थापित "थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले" का नई शिक्षा नीति के तहत अनुसरण करने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार का मानना है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है, उन पर हिन्दी लादना, क्योंकि थर्ड लैंग्वेज तो हिन्दी ही होगी।
- तमिलनाडु सरकार के समर्थक मानते हैं कि अगर केन्द्रीय सरकार ने जोर-जबरदस्ती से नई शिक्षा नीति लादने का प्रयास किया तो केन्द्रीय सरकार (भाजपा) तमिलनाडु में शासन करने की उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि 1960 के दशक में कांग्रेस ने ऐसा ही किया था और उसके बाद अभी तक कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ता में नहीं आयी है।

मुद्दा रहा है। चेन्नई के राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि केन्द्र को तमिलनाडु से तीसरी भाषा, जो हिन्दी ही होगी, को स्वीकार करने के लिये नहीं कहना चाहिये। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तमिलनाडु को जनता फिर से द्रमुक

सरकार को चुनेगी, क्योंकि केन्द्र इस मुद्दे पर दबंगता से काम लेता दिखाई दे रहा है। पिछली बार, 1960 के दशक में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने इस राज्य में हिन्दी थोपी थी तथा उस (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प के नागरिकता संबंधी आदेश का विरोध करने वाले ज्यादा भावुक व आक्रामक हैं

दूसरी तरफ आदेश का समर्थन करने वालों में आदेश के पक्ष में जुनून नहीं है

**- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -**
नई दिल्ली, 22 फरवरी। जनवरी में जब डॉनल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया था तब उन्होंने जन्मजात नागरिकता को पुनः परिभाषित करने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था। आदेश कहता है कि अमेरिका में जन्मे उन्हीं बच्चों को नागरिकता दी जाएगी जिनके माता-पिता में से कोई एक अमेरिका का स्थायी नागरिक होगा। यह 150 साल से प्रचलित जन्मजात नागरिकता के सिद्धांत से प्रमुख बदलाव था और जिसे अब अमेरिका की कई अदालतों में चुनौती दी गई है।

पिउ रिसर्च सेंटर सर्वे बताता है कि 56 प्रतिशत अमेरिकन वयस्क नागरिकता संबंधी ट्रम्प के आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं, सिर्फ 43 प्रतिशत ने इसे स्वीकार किया है अस्वीकार करने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, 40 प्रतिशत इसका जोरदार विरोध करते हैं वहीं सिर्फ 23 प्रतिशत हैं जो इसका जोरदार समर्थन

- प्यु रिसर्च सेंटर द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार, 56 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक इस आदेश के खिलाफ हैं व केवल 43 प्रतिशत इस आदेश का समर्थन करते हैं।
- साथ ही विरोध करने वालों में 40 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके मन में इस आदेश के खिलाफ जुनून जैसा "पैशन" है और वे भारी विरोध में हैं, जबकि आदेश का समर्थन करने वालों के मन में आदेश के पक्ष में जुनून जैसी भावना नहीं है और समर्थन करने वालों में केवल 23 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो भारी समर्थन में हैं।
- क्या इसका मतलब है, समर्थन तार्किक है, पर, विरोध, भावना प्रधान व नैतिक मूल्यों पर आधारित है।

करते हैं। एज्युकटिव ऑर्डर पर राय नस्ल, जातीयता आयु के आधार पर भिन्न भिन्न है। अश्वेत, हिस्पैनिक और एशियाई मूल के लोगों द्वारा इसका विरोध करने की संभावना समर्थन की संभावना से अधिक है। अश्वेत वयस्कों में अस्वीकृति सर्वाधिक 74 प्रतिशत है वहीं एशियाई वयस्कों का एक छोटा तबका 56

49 वर्ष के अधिकांश लोग इसका विरोध करते हैं, 41 प्रतिशत इसके पक्ष में हैं 59 प्रतिशत विरोध में हैं, 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिकांश लोगों की राय भी इस पर विभाजित है, जहां 48 प्रतिशत इसके पक्ष में हैं वहीं 52 प्रतिशत इसके खिलाफ हैं।

इस मुद्दे पर राय मुख्य रूप से राजनीतिक रुझान के अनुसार विभाजित है। अधिकांश डेमोक्रेस इस आदेश का विरोध करते हैं, जबकि अधिकांश रिपब्लिकन इसका समर्थन करते हैं। हालाँकि, डेमोक्रेस का विरोध रिपब्लिकन समर्थन को तुलना में अधिक व्यापक और तीव्र है। डेमोक्रेस और डेमोक्रेटिक रुझान वाले स्वतंत्र लोगों में से 84 प्रतिशत इसका विरोध करते हैं, जिसमें 68 प्रतिशत विरोध के पक्ष में हैं तथा 49 प्रतिशत विरोध में हैं। युवा वयस्कों द्वारा भी ट्रम्प के निर्णय का विरोध करने की संभावना कम है। तीस वर्ष से कम आयु के 36 प्रतिशत लोग ही इस निर्णय के पक्ष में हैं जबकि 63 प्रतिशत इसके खिलाफ हैं, 30 से

रेत में दबने से 5 मजदूरों की मौत

जालना, 22 फरवरी। महाराष्ट्र के जालना में शनिवार को एक निर्माण स्थल पर बने श्रमिकों के अस्थायी 'शेड' पर टूट से गिराए गए रेत के कारण उसमें सो रहे पांच मजदूरों की दबकर मौत हो गई। जान गंवाने वालों में एक नाबालिग भी शामिल है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जाफराबाद तहसील के पासोडी-चंदोले में एक पुल परियोजना स्थल पर तड़के हुई।

- निर्माण स्थल पर अस्थायी "शेड" में मजदूर सो रहे थे। टूट ने उस शेड पर रेत गिरा दी जिससे यह हादसा हुआ।

उन्होंने बताया कि मजदूर निर्माण स्थल पर बने एक अस्थायी शेड में सो रहे थे कि तभी चालक रेत से भरा 'टिपर' टूट लेकर वहां पहुंचा और रेतने अनजाने में वही शेड पर ही पूरा रेत गिरा दिया जिससे मजदूर उसके नीचे दब गए। सूत्रों के मुताबिक, रेत के भार से शेड ढह गया, जिसके बाद टूट चालक घटनास्थल से (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

"एडहॉकिज़म" कार्यवाहक अधिकारियों की नियुक्तियों का "फैशन" जारी रहा, तो क्या मैडिकल शिक्षा क्षेत्र स्वस्थ रहेगा?

आर.यू.एच.एस. में वी.सी. की नियुक्ति के लिए गठित सर्व समिति ने वर्तमान कार्यवाहक वी.सी. को अयोग्य माना, फिर भी वे पद पर कायम क्यों हैं?

- यादवेन्द्र शर्मा -
जयपुर, 22 फरवरी। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में से एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) लगभग 10 महिने से काम चलाऊ वाइस चांसलर (वी.सी.) के भरोसे ही चल रहा है और हैरानी की बात है कि नौ महीने से डॉ. धनजय सिंह कार्यवाहक वी.सी. पद पर कार्यरत हैं, जबकि डॉ. धनजय अग्रवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट (संशोधित), 2017, के तहत इस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य भी नहीं है। नियमानुसार, अस्थाई नियुक्ति के लिए भी, केवल किसी अन्य विश्वविद्यालय के वी.सी. को चार्ज दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि डॉ. धनजय अग्रवाल आर.यू.एच.एस. में कार्यवाहक वी.सी. की नियुक्ति से पूर्व एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में नैफ़ोलॉजी

- हैरानी की बात है कि राज्यपाल द्वारा कई बार पूछे जाने के बाद सर्व समिति का गठन किया गया। फिर 8 उपयुक्त व चयनित डॉक्टरों का सर्व समिति ने 28 जनवरी को फाइनल इंटरव्यू भी ले लिया।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यपाल, जो आर.यू.एच.एस. के कुलपति भी हैं, ने विश्वविद्यालय के वर्तमान व कार्यवाहक वी.सी. की कार्यशैली के खिलाफ पत्र में कड़ी टिप्पणी भी की है। परन्तु, फिर भी वर्तमान वी.सी. को उनके पद से मुक्त नहीं किया जा रहा है।
- अस्थायी अफसरों की नियुक्ति का सिलसिला केवल आर.यू.एच.एस. के वी.सी. तक ही सीमित नहीं है। जयपुर के 8 अस्पताल व प्रदेश में 30 से भी अधिक अस्पतालों में मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट्स की अस्थायी नियुक्ति हो रही है।

विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थे, यानि वे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी कनिष्ठ पद पर थे, फिर भी उन्हें वी.सी. बना रखा है। इस मामले में और भी नाटकीय और चौंका देने वाला घटनाक्रम यह भी है कि राज्यपाल के कार्यालय से पांच बार पत्र आने के बाद,

दिसम्बर, 2024, में आर.यू.एच.एस.में वी.सी. की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन कर लिया गया, जिसके बाद चयन समिति ने उपयुक्त उम्मीदवारों के आवेदन दापर करने के लिए 10 जनवरी, 2025, आखिरी तारीख तय की। चयन समिति को 40 उम्मीदवारों के आवेदन मिले थे,

जिसमें से आठ उम्मीदवारों का चयन कर सूची प्रकाशित भी की गई थी, और इन सभी उम्मीदवारों का फाइनल इंटरव्यू 28 जनवरी को हुआ। वही कि उम्मीद की जा रही थी, आर.यू.एच.एस. के कार्यवाहक वी.सी., डॉ. धनजय अग्रवाल का नाम इन आठ की सूची में नहीं था।

- तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईएएस, दास पूर्व में रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं।

अनुसार, तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दास का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक होगा। आदेश में कहा गया, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास, आईएएस (रिटायर्ड) को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव - 2 के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। दास ने एक सार्विक सेवक के रूप (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)